न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद पत्र संख्या : 165/2022
CMS No. : 2022/316

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. मनीष सोनी पुत्र हंसराज सोनी, जाति– सोनी, निवासी– जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान।

राजस्व वाद पत्र बाबत् **बेदखली** अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955

तारीख रजू :– 25.08.2022

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री सुनिल प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 12.08.2024

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 47/159 कुल रकबा 0.3318 हैक्टर किस्म चाही दोयम, मौजा पातुस, पटवार मण्डल बिरोल** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 01 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर ***वाणिज्यिक उपयोग (आवासीय कॉलोनी)*** कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत **दिनांक** 04.08.2022 को पैदा हुआ जब भू. अ.निरीक्षक ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **अकृषि (वाणिज्यिक प्रयोजन)** का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। व अन्य सहायता जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:27 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण

किया गया, जवाब दावा में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 का जबाब है कि सरहद मौजा पातुस पट्वार हल्का बिरोल मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 47/159 रकबा 0.3318 हैक्टयर प्रतिवादी मनीष सोनी की खातेदारी की भूमि थी जो भूमि वर्तमान में आबादी भूमि दर्ज होकर आवासीय कॉलोनी विकसित की हुई है। वादपत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी खातेदारी भूमि मे अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया बल्कि भूमि का सम्परिर्वतन करवाकर ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है नकल समपरिवर्तन आदेश दिनांक 16/12/2022 कमांक नगरपालिका जैतारण / 2022-23/3460 जवाब वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार से कोई राजस्व नुकसान नहीं पहुंचाया है वादपत्र गलत किया गया है जो काबिल खारिज के है। वादपत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि वादी को उक्त वादउपत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि उक्त भूमि अब खेती की भूमि नहीं रही है वह आवासीय भूमि हो चुकी है जिस कारण कानूनन उक्त वाद मेन्टेनेबल नहीं है। वादी को प्रतिवादी को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनाक 04/08/2022 को पट्वारी हल्का को कोई अवैध रूप से निर्माण करने की व अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य करने की कोई धमकी नहीं दी है। वादपत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि वादी को धारा 177, 292 क के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र मे आती है व आबादी है इसलिए उक्त वाद कानूनन मेन्टेनबल नहीं होने से काबिल खारिज के है। वादपत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि वादी वादपत्र मे वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से व वादपत्र कानूनन मेन्टेनबल नहीं होने से काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। अतः जबाब वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादपत्र कानूनन मेन्टेनबल नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस वादी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण एवं अधिवक्ता वादी की सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा ग्राम पातुस पट्वार हल्का बिरोल में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 47/159 रकबा 0.3318 हैक्टर किस्म चाही दोयम जो कि कृषि भूमि है पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किस्म परिवर्तित कर [illegible] (***आवासीय कॉलोनी काट कर***) कर खुर्द बुर्द कर रहे है तथा टीनेन्सी [illegible] को भंग किया गया है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर खातेदारान को [illegible] से बेदखल किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:27 IST
Reason: SelfAttested

2. अप्रार्थी खातेदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 47/159 रकबा 0.3318 हैक्टर किस्म चाही दोयम का नगरपालिका

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

जैतारण के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 73/2022–2023 अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है तथा भू रूपान्तरण उपरान्त नगरपालिका जैतारण द्वारा राजस्व रिकर्ड में नामान्तकरण दर्ज किए जाने हेतु पत्र आदेशांक/न.पा. जै/2022–23/3460–3463 दिनांक 16.12.2022 जारी किया गया था लेकिन उक्त संपरिवर्तन आदेश के अनुरूप नामान्तकरण दर्ज नहीं होने के कारण भू अभिलेख में वादग्रस्त आराजी अभी भी कृषि भूमि दर्ज है। जिसके आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध यह दावा प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है। अतः वादपत्र कानूनन मेन्टेनबल नहीं होने से खारिज फरमावे।

3. जवाबदावे के साथ प्रस्तुत भू रूपान्तरण आदेश एवं अन्य दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका जैतारण द्वारा आदेशांक/न.पा. जै/2022–23/3460–3463 दिनांक 16.12.20202 द्वारा वादग्रस्त आराजी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान करते हुए अभिधृति अधिकारों को निर्वापित किया जा चुका है। अतः वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही संधारणीय नहीं है। अतः हस्तगत वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–पत्र अंतर्गत धारा–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक *12/08/2024* को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:27 IST
Reason: SelfAttested